न्यायालय माननीय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /निगरानी/2017–विदिशा R-1334-I-17

पंचम लाल सप्रे पुत्र श्री कडोरीलाल सप्रे, निवासी– गढ़ामोहल्ला वार्ड नं. 9 तहसील कुरवाई, जिला विदिशा म.प्र. ....आवेदक

बनाम

1. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर विदिशा
2. शिवचरण ब्राह्मण पुत्र श्री फोदीलाल, निवासी– ग्राम मेहलुआ तहसील कुरवाई, जिला विदिशा म.प्र. ....अनावेदक

निगरानी आवेदन पत्र धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत प्रस्तुत विरूद्ध आदेश कलेक्टर विदिशा के प्रकरण क्रमांक 34/अ19/2008–09 शिवचरण/शासन आदेश दिनांक 27.08.2016 जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि राजस्व मंडल में लंबित प्रकरण रिव्यू 833/1/2017 शासन विरूद्ध शिवचरण में संलग्न रिकॉर्ड जिला कलेक्टर विदिशा के प्रकरण में से प्राप्त नकल दिनांक 23.03.2017 को प्राप्त हुई

माननीय न्यायालय,

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार प्रस्तुत है:–

यहकि, विवादित आराजी उक्त प्रकरण के अनावेदक क्रमांक 2 शिवचरण के नाम से आराजी थी। भूमि सर्वे क्रमांक 373/1 रकवा 0.627 स्थित ग्राम मेहलुआ चौराहा तहसील कुरवाई जिला विदिशा स्थित आराजी की विनियम की कार्यवाही कलेक्टर न्यायालय के यहां लंबित कार्यवाही का प्रकरण क्रमांक 34/अ–19/08–09 में सम्पूर्ण वैधानिक प्रक्रिया का पालन करते हुये विक्रय की अनुमति दिनांक 29.06.2009 को दी थी। जिसके आधार पर निगरानीकर्ता ने उपपंजीयक से सलाह लेकर गाइडलाइन के अनुसार उक्त आराजी को रजिस्ट्री द्वारा क्रय किया। क्रय करने के बाद उक्त रजिस्ट्री के आधार पर निगरानीकर्ता ने नामातंरण हेतु आवेदन दिया। आवेदन स्वीकार होकर राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ। ऋण पुस्तिका प्रदाय की गई तब से उक्त आराजी निगरानीकर्ता के कब्जे में होकर उपयोग उपभोग कर रहा है व पजेशन में है। इसके कुछ समय

R 1334/17 (विविध)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अ[illegible]कों आदि के हस्ताक्षर
7.7.17	अभिभाषक गण मार्च से विरत हैं प्रकरण आवेदन पर तर्क हेतु। पे. 18.8.17 [signature]	18/8/17
18.8.17	आवेदक अर्जी श्री कुँवर सिंह कुशवाह उपस्थित। अनावेदक क्र 1 शासन की ओर से श्री [illegible] पी.पी. उपस्थित। आवेदक अभिभाषक द्वारा निवेदन किया गया है कि सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु प्रकरण को वापिस किया जावे। अनावेदक शासन की ओर से पैनल अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है। आवेदक अर्जी का निवेदन स्वीकार किया जाता है एवं मूल दस्तावेज आवेदक अर्जी को वापिस किये जावें। प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। [signature]	सक्षम न्यायालय हेतु इस केस को मैं वापिस लेना चाहता हूँ सक्षम वापिस देने की कृपा करें आगे नहीं चलाना चाहते [signature] 18/8/17